

4 (1) (ख) अन्तर्गत- 17 बिन्दुओं की जानकारी निम्नांकित है :-

- (i) स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की पदस्थापना एवं कार्यालय सृजित हैं, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का दायित्व जिले में संचालित होने वाली समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक निर्वाहन करना है।
- (ii) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अन्तर्गत 24 राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम में एक नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं। जिसमें कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन की जवाबदेही निश्चित है। इसी तरह जिले में संचालित होने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों में क्षेत्रीय कर्मचारी तैनात हैं। उनके कार्यों की समीक्षा एवं नियंत्रण हेतु अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर की जाती है। तथा लापरवाह एवं गैर जिम्मेदार कर्मचारियों पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।
- (iii) कण्डिका 2 में उल्लेखित जानकारी समाहित है, एवं कार्यरत शाखा का नाम 1. स्थापना शाखा 2. लेखा शाखा 3. स्टोर शाखा 4. एन.एच.एम.शाखा 5. सांख्यिकी शाखा 6. आर.एस.बी.वाय/एम.एस.बी.वाय शाखा 7. नर्सिंग होम एक्ट शाखा 8. टीकाकरण शाखा।
- (iv) तृतीय श्रेणी के गैर कार्यपालिक कर्मचारियों पर कर्तव्यों के निर्वाहन पर लापरवाही बरतने पर सर्वप्रथम कारण बताओ सूचना जारी किया जाता है। उसके उपरान्त सन्तोषप्रद जवाब ना होने पर नियमानुसार छोगो सिविल सेवा (आचरण) अधिनियम, 1965 के तहत कार्यवाही की जाती है।
- (v) स्वास्थ्य विभाग में ग्राम स्तर पर उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। जिसमें प्रत्येक 3000 की जनसंख्या पर उप स्वास्थ्य केन्द्र होते हैं। जिसमें पुरुष एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्य करते हैं। इसी तरह लगभग 5 या 6 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में एक सेक्टर बनाया जाता है। जिसमें एक पर्यवेक्षक (महिला/पुरुष) का पद सृजित है। जो कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्यों का पर्यवेक्षण निरीक्षण तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन एवं उनके ऊपर विकासखण्ड स्तर पर खण्ड विस्तार प्रशिक्षक अधिकारी एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी होते हैं। जो कार्यकर्ताओं के कार्यों के मॉनीटोरिंग करते हैं। तथा किये गये राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रविष्टियां ऑनलाईन विभाग की वेबसाइट www.cghealth.nic.in में की जाती है।
- (vi) उप स्वास्थ्य केन्द्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत ई-महतारी रजिस्टर, जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अभिलेखों का संधारण एवं उनके भुगतान संबंधित कार्यवाही एवं मलेरिया, टी.बी. कुष्ठ रोग, संक्रामक विमारियों के साथ अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अभिलेखों का संधारण किया जाता है।
- (vii) विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर समय-समय पर जिला पंचायत/जनपद पंचायतों में होने वाली सामान्य सभा की बैठकों में निर्वाचित प्रतिनिधि जो जनता द्वारा निर्वाचित है। उनसे समन्वय बनाकर विभाग में संचालित होने वाले योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। तथा जनपद सदस्यों/जिला सदस्यों के मांग एवं अभ्यावेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इसी तरह ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य समिति गठित है। जो कि ग्राम में स्वच्छता एवं अन्य संबंधों में परामर्श एवं सुझाव के आधार पर कार्य किया जाता है।
- (viii) कण्डिका 7 में उल्लेखित जानकारी समाहित है।

- (viii) कण्डिका 7 में उल्लेखित जानकारी समाहित है।
- (ix) जिले के अन्तर्गत सभी 05 विकासखण्डों में विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी का पद सृजित है। जिसमें विकासखण्ड स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय है। जिसमें विकासखण्ड में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के नामों की सेवा-पुस्तिका संधारित है। तथा इसी तरह जिला स्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय एवं जिले में जिला अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों के नाम की सेवा-पुस्तिका अद्यतन है। विभाग द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पोर्टल HR-MIS के नाम से खोला गया है। जिसमें सभी अधिकारी/कर्मचारियों समस्त सेवा संबंधित जानकारी इन्द्राज है। जिससे कोई जनसामान्य अधिकारी/कर्मचारियों के एम्प्लॉई आईडी के माध्यम से देख सकते हैं।
- (x) विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को छ0ग0 शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान अनुसार मासिक वेतन का भुगतान कोषालय द्वारा ई-कोश के माध्यम से ऑनलाईन किया जाता है। भुगतान की कार्यवाही कर्मचारियों के राष्ट्रीयकृत बैंक- भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से की जाती है। साथ ही शासन द्वारा सालाना निर्धारित प्रतिकर प्रणाली के अन्तर्गत सालाना कर की राशि उनके वेतन से कटौती कर शासन को जमा की जाती है। Govt. of C.G. Health & family Welfare Department.office of cmho. Kondagaon <https://ekushonline.cg.nic.in/epayroll/RptASPX/rptpay slip.aspx> में दर्ज है।
- (xi) स्वास्थ्य विभाग में संचालित योजनाओं, व्ययों, रिपोर्टिंग एवं आबंटित बजट की जानकारी प्रपत्र 01 संलग्न है।
- (xii) स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त योजनाओं के आय-व्यय की जानकारी जिसमें हितग्राहियों को लाभान्वित की जानकारी प्रपत्र 02 संलग्न।
- (xiii) स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय द्वारा क्वालिटी एस्योरेंस के तहत नसबंदी असफल एवं नसबंदी उपरांत 07 दिवस में मृत्यु प्रकरणों पर विभाग द्वारा जारी नियम एवं शर्तों के अनुसार पात्र हितग्राहियों को रियायत राशि प्रदाय किया जाता है।
- (xiv) ऐसी सूचना/दस्तावेज जिसे इलेक्ट्रानिक रूप में संधारित स्वास्थ्य विभाग के ई-महतारी, के वेबसाइट जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्टिंग आनलाईन दर्ज की जाती है, तथा एच.एम.आई.एस. की ऑनलाईन रिपोर्टिंग गॉर्मेन्ट ऑफ इंडिया के पोर्टल में दर्ज की जाती है।
- (xv) सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक खण्ड स्तर पर जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी प्रधिकृत हैं। तथा विशिष्ट सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए सभी उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला स्तर पर जिला कार्यालय एवं जिला चिकित्सालय पर सीटीजन चार्टर के माध्यम से विभाग की समस्त योजनाएं प्रदर्शित की गई हैं। इसी तरह जिला स्तर पर शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय में आम जनता एवं नागरिकों से जिला प्रमुख मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भेंट हेतु समय निर्धारित है।
- (xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं विशेषताएं—
1. डॉ0 एस0के0 कनवर, प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोण्डागांव



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला कोण्डागांव

2. डॉ० एस० टोप्पो, जन सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोण्डागांव
3. डॉ० एस० पी० वारे, जनसूचना अधिकारी
कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला कोण्डागांव
4. डॉ० आर० के० सिंह, जनसूचना अधिकारी
कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड कोण्डागांव
5. डॉ० एल० जुरी, जन सूचना अधिकारी
कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड फरसगांव
6. डॉ० डी० के० बिसेन, जनसूचना अधिकारी
कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड केशकाल
7. डॉ० एस० एन० ध्रुव, जनसूचना अधिकारी
कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड विश्रामपुरी
8. डॉ० अनिल देवांगन, जनसूचना अधिकारी
कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड माकडी

तथा उपरोक्त जनसूचना अधिकारी के अधीनस्थ सहायक जनसूचना अधिकारी कार्यालय में कार्यरत है।

(xvii)

समय-समय पर पल्स पोलियो, फाइलेरिया, सिकल सेल, कुष्ठ उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन, टीकाकरण एवं जनसंख्या स्थिरीकरण के पखवाडे आयोजित होते हैं। जिसे ग्राम स्तर पर कोटवार एवं मितानिन तथा कस्बे एवं नगर स्तर पर माईक के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है। जिससे आमजनता को होनेवाले कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो। तथा कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक वर्षों में उक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का नियमित अद्यतन किया जाता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
✽ जिला कोण्डागांव (छ०ग०)

जिला - कोण्डागांव माह - सितम्बर 2017

Abstract Consolidated Report, up to 2016 (As per Actual ROP)

S.No.	ACTIVITY	ROP 15-16	FUND AVAILABLE					Cumulative Expenditure (Rs. In			Closing Balance (8- 11)=12	% of Utilization against ROP
			Opening Balance 1- 4- 2015(Audit ed Balance)	Fund Received during the Year	Interest	Other Rec.	Total (4+5+6+7)= 8	District	Block+Agenc y	Total (9+10)= 11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Part A	RCM Flexipool	629.16	-10.28	300.00	0.00	0.00	289.72	84.86	124.52	209.38	80.34	33.28
Part B	Mission	1004.92	-0.23	360.00	0.00	0.00	359.77	229.11	214.90	444.01	-84.24	44.18
Part C	Immunization	122.84	15.30	10.00	0.00	0.00	25.30	1.10	13.87	14.97	10.33	12.19
	Total (Part A+B+C)	1756.92	4.79	670.00	0.00	0.00	674.79	315.07	353.29	668.36	6.43	38.04
Part D	RNTCP	57.43	12.75	10.00	0.00	0.00	22.75	15.11	0.00	15.11	7.64	26.31
	NVBDCP (Malaria)	8.06	15.30	2.00	0.00	0.00	17.30	0.59	1.82	2.41	14.89	29.90
	IDSP	10.28	1.82	1.00	0.00	0.00	2.82	1.84	0.00	1.84	0.98	17.90
	NPCB (Blindness)	4.17	3.74	1.00	0.00	0.00	4.74	0.47	0.00	0.47	4.27	11.27
	NLEP	9.19	1.76	1.00	0.00	0.00	2.76	3.16	0.00	3.16	-0.40	34.39
	Total (Part D)	89.13	35.37	15.00	0.00	0.00	50.37	21.17	1.82	22.99	27.38	25.79
	Infrastructure Maintenance (Treasury Route)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grand Total (Part A+B+C+D+Inf ra.)	1846.05	40.16	685.00	0.00	0.00	725.16	336.24	355.11	691.35	33.81	37.45

मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी

ज. कोण्डागांव (द. म.)

कार्यालय का नाम:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला - कोण्डागांव प्रपत्र-02

भौतिक प्रगति

क्र.	योजना क्र.	योजना का नाम	आंकलन इकाई	वर्ष 2016-17		प्रस्तावित भौतिक उपलब्धि	लाभान्वित ग्राम पंचायत / विकासखण्ड, नगरीय निकाय / जिला का नाम
				लक्ष्य	उपलब्धि		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A	जननी सुरक्षा योजना	रूपय	11050	8586	मातृत्व स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम	जिला कोण्डागांव
		जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	रूपय	4389	4273		
		परिवार नियोजन	रूपय	850	1013	पुरुष नसबंदी	
			रूपय	400	86	महिला नसबंदी	
			रूपय	3154	3678	IUCD निवेशन	
	चिरायु कार्यक्रम	रूपय	256815	50681	स्कूल, छात्रवास में स्वास्थ्य परिक्षण		
2	B	एन0आर0एच0एम0 फ्लेक्सि पुल	रूपय	2312	2312	मितानीन कार्यक्रम तथा अनटाईड फंड	
3	C	टीकाकरण	रूपय	13340	11686	पूर्ण टीकाकृत बच्चे	
4	E	आई0डी0एस0पी0	रूपय	11330	10491	वि0ख0 में भानिटरिंग एवं प्रशिक्षण	
5	F	मलेरिया कार्यक्रम	रूपय	124160	142949	कुल रक्त पट्टी संग्रहित कर जांच	
6	G	कुष्ठ	रूपय	70	83	कुष्ठ कार्यक्रम	
7	H	टी0बी0	रूपय	1347	647	टी0बी0 कार्यक्रम	
8	I	अंधत्व कार्यक्रम	रूपय	660	362	मोतियाबिंद ऑपरेशन	
		अधोसंरचना	रूपय	66	51	निर्माण कार्य	

कार्यालय प्रमुख का हस्ताक्षर एवं सील
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-कोण्डागांव (उ.प्र.)